



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940

No. 348]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सं. 46/ 2018-सीमा शुल्क (गै.टे.)

**सा.का.नि. 491(अ).**—सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 1178 (अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 89/2017 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय – 71 में,-

(i) टैरिफ मद 711302 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "3513.8" अंकों के लिए, "2851" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 711401 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "3513.8" अंकों के लिए, "2851" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 609/36/2018-डीबीके]

आनन्द कुमार झा, अवर सचिव

**टिपणी :** प्रधान अधिसूचना सं. 89/2017 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1178 (अ) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 50 (अ) दिनांक 22 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 8/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25 May, 2018

**No. 46/ 2018 - CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 491(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 89/2017- Customs (N.T.), dated the 21st September, 2017, published vide number G.S.R. 1178 (E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in Chapter - 71,-

(i) Against tariff item 711302, in the entry in column (4), for the figures “3513.8”, the figures “2851” shall be substituted;

(ii) Against tariff item 711401, in the entry in column (4), for the figures “3513.8”, the figures “2851” shall be substituted.

[F. No. 609/36/2018-DBK]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 89/2017-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21<sup>st</sup> September, 2017 vide number G.S.R. 1178(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2017 and was last amended by notification No.8/2018-Customs (N.T.), dated the 22<sup>nd</sup> January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22<sup>nd</sup> January, 2018 vide number G.S.R. 50 (E) , dated the 22<sup>nd</sup> January 2018.